83 67

सं0 I–40014/07/2007/रा.भा.– 141
महानिदेशालय, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
खण्ड–2, केंद्रीय कार्यालय परिसर
लोदी रोड, नई दिल्ली–03

दिनांक: 18/02/09

## कार्यालय ज्ञापन

विषय : **समाचार–पत्रों में विज्ञापनों आदि को द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करवाए जाने के बारे में ।**

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 05 फरवरी, 2009 के का0ज्ञा0 सं011012/2/2007–हिंदी के साथ प्राप्त राजभाषा विभाग के दि0 24.11.2008 के का0ज्ञा0 सं020001/77/2008/रा.भा./का.2 की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है जिसमें अनुरोध किया गया है कि हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिंदी में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए ।

2. अतः सभी परिक्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि कृपया उक्त अनुदेशों को सभी अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएं तथा सुनिश्चित करवाएं कि हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिंदी में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जाएं । कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग, महानिदेशालय को भी सूचित करवाया जाए ।

संलग्नः एक

श्याम मेहरोत्रा
(श्याम मेहरोत्रा)
उप महानिरीक्षक (प्रशासन)

सेवा में,

1. सभी परिक्षेत्रीय/कार्य/आधार चिकित्सालय/केंद्रीय अभिलेख कार्यालय, भा.ति.सी. पुलिस।
2. महानिदेशालय के कार्मिक–1, 2, प्रशासन, अभियंता, आसूचना, संचलन,संभरण, क्रय, जैग, संगठन, पुस्तकालय, जनसंपर्क सेल, दूरसंचार, भंडार, चिकित्सा, बजट/वित्त, पशुचिकित्सा, दूरसंचार–डेट(आप्स) एवं परिवहन शाखा।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके 05.2.2009 के का0ज्ञा0 सं011012/2/2007–हिंदी के संदर्भ में सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि वेबसाइट पर डालने हेतु।

(श्याम मेहरोत्रा)
उप महानिरीक्षक (प्रशासन)

सं.20001/77/2008/रा.भा./का-2

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली110 003 दिनांक 24 नवम्बर, 2008

## कार्यालय ज्ञापन

विषय : समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि द्विभाषी प्रकाशित किए जाने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग में प्रायः इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किए जा रहे हैं ।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के दिनांक 06.04.71 के का.ज्ञा. सं.2/20/69-रा.भा. और उक्त बाबत समय-समय पर जारी आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि सरकारी विज्ञापन द्विभाषिक रूप में जारी किए जाएं । केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 32वीं बैठक (मद सं.32.8) में भी इस बात पर जोर दिया गया था ।

उक्त बाबत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध है कि हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिंदी में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करवाएं और अपने संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त संस्थाओं आदि को भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु हिदायत जारी करें ।

कृपया की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवा दें ।

(बी. आर. शर्मा)
निदेशक (कार्यान्वयन)
फोन : 2461 8967

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग